बयान साधना तिवारी पत्नी स्व0 ओमकारनाथ तिवारी निवासी सुरेखापुरम् कालोनी,जबलपुर रोड थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर मो0न0-6387233091 बता रही है कि मेरे प्रिता जी चार भाई क्रमशःदयाशंकर मिश्रा,हरिप्रसाद मिश्रा,सियाकान्त मिश्रा(पिता) व शिवशंकर मिश्रा थे। मेरे दादा का नाम शम्भूशरण मिश्रा था। मै जब 06 माह की थी तो मेरे माता जी का देहान्त हो गया तथा मेरे पिता का देहान्त वर्ष 2001 मे हुआ था। जिस कारण मेरा लालन पालन मेरे मौसी अहिल्या पाण्डेय व मौसा रामनरेश पाण्डेय निवासी बरधवा,थाना अमरपुर जनपद उमरिया म0प्र0 द्वारा किया गया है। मेरी शादी दिनांक 11.03.2012 को मेरे बड़े पिता हरिप्रसाद द्वारा किया गया था,परन्तु उनके द्वारा यह जानते हुए कि मेरे पति दिमाग के मेन्टेली थे,तथा पूर्व से शादी सूदा थे,तथा उनके तीन बच्चिया थे, जिसके बारे मे मेरे बड़े पिता हरिप्रसाद को जानकारी थी,इसके बावजूद उन्होने धोखे से मेरी शादी करवा दिया गया। शादी के बाद मेरे बड़े पिता जी द्वारा मुझसे मतलब रखना छोड़ दिये तथा आना जाना भी बन्द कर दिये। जब मेरे बड़े पिता जी द्वारा मेरे यहां आना जाना बन्द कर दिये तो मेरे द्वारा अपने पिता के हिस्से की जमीन अपने बड़े पिता व चाचा से मांग किया जाने लगा। तब मुझे पता चला कि पैतृक सम्पत्ति मेरे बडे पिता हरिप्रसाद व दयाशंकर मिश्रा के नाम से वर्ष 2007 मे वरासत होकर नाम खतौनी में दर्ज हो गया था। मेरे पिता की मृत्यु वर्ष 2001 मे तथा मेरे दादा की मृत्यु वर्ष 2005 मे हो तथा मेरे सबसे छोटे चाचा शिवशंकर मिश्रा,जो गुंगे बहरे थे, उनकी भी मृत्यु हो गयी है। मेरे दादा के मरने के बाद मेरे बड़े पिता हरिप्रसाद व चाचा दयाशंकर मिश्रा द्वारा धोखे से सम्पत्ति अपने नाम करवा लिये। विपक्षीगण द्वारा कहा जाता है कि मेरे पिता के नाम से कोई सम्पत्ति भैसोड़ बलाय पहाड़ में नही है। इस तरह विपक्षीगण राजस्व कर्मियो के मिलीभगत करके पूरी सम्पत्ति अपने नाम करा लिये है। बाकी मेरे द्वारा जो प्रार्थना पत्र है उसे मेरा बयान समझा जाये।

साधना तिवारी

**सेवा में, क्षेत्राधिकारी (CO) लालगंज, जनपद - मीरजापुर।**

**विषय: केस संख्या 10035/24/55/2025 (माननीय राज्य मानवाधिकार आयोग) के संबंध में लिखित अभिकथन एवं साक्ष्य।**

**महोदय,**

प्रार्थिनी, **साधना तिवारी**, निवासिनी सुरेखापुरम् कालोनी, जबलपुर रोड, थाना को० कटरा, जनपद मीरजापुर, आपके कार्यालय द्वारा प्राप्त नोटिस के अनुपालन में अपना पक्ष निम्नलिखित साक्ष्यों और तथ्यों के माध्यम से प्रस्तुत करती है:

## 1. राजस्व रिकॉर्ड (खतौनी) और पूर्व आख्या का विरोधाभास

- पूर्व की पुलिस आख्या में यह दावा किया गया है कि पारिवारिक बंटवारा वर्ष 2001 से पहले ही मौखिक रूप से हो गया था ।
- किंतु, राजस्व विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड **उद्धरण खतौनी (1419-1424 फसली)**, ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड, खाता संख्या 00090 के अनुसार, यह संपत्ति वर्ष 2007 तक प्रार्थिनी के स्वर्गीय दादा शम्भू शरण मिश्रा के नाम पर ही दर्ज थी ।
- दिनांक **19/06/2007** (वाद संख्या 255/2007) को विरासत दर्ज की गई , जिसमें श्रेणी-1 की उत्तराधिकारी होने के बावजूद प्रार्थिनी का नाम जानबूझकर साजिश के तहत हटा दिया गया ।

## 2. विरासत के समय प्रार्थिनी का नाबालिग होना

- प्रार्थिनी के पिता स्व० सियाकान्त मिश्रा की मृत्यु **12/10/2001** को हुई थी ।
- वर्ष 2007 में जब यह विरासत दर्ज की गई, तब प्रार्थिनी की आयु मात्र **12 वर्ष** (नाबालिग) थी।
- विधिक रूप से एक नाबालिग बच्चा किसी भी 'मौखिक बंटवारे' या 'पारिवारिक समझौते' का हिस्सा नहीं हो सकता, जिससे उसके पैतृक अधिकारों का हनन होता हो ।

## 3. आपराधिक षड्यंत्र एवं भूमि का त्वरित विक्रय

- साजिश को प्रमाणित करने हेतु यह ठोस साक्ष्य है कि विवादित विरासत **19/06/2007** को दर्ज हुई और उसके मात्र 18 दिन बाद **07/07/2007** को उक्त भूमि को विपक्षीगण द्वारा अन्य व्यक्ति (श्रीमती नचकी) को बेच दिया गया ।

साधना तिवारी

- यह स्पष्ट करता है कि प्रार्थिनी के पिता के हिस्से को हड़पने और उसे तत्काल ठिकाने लगाने के उद्देश्य से ही प्रार्थिनी का नाम रिकॉर्ड से गायब किया गया था।

## 4. विधिक एवं मानवीय आधार

- विपक्षीगण का यह तर्क कि उन्होंने प्रार्थिनी की शादी का खर्च उठाया है, संपत्ति के अधिकार का विधिक विकल्प नहीं हो सकता। **माननीय उच्चतम न्यायालय (विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, 2020)** के अनुसार, पुत्री जन्म से ही समान उत्तराधिकारी है।

- प्रार्थिनी के पति का देहांत **22 दिसंबर 2025** को हो चुका है। वर्तमान में प्रार्थिनी एक असहाय विधवा है और यह पैतृक संपत्ति ही उसके जीवनयापन का एकमात्र विधिक सहारा है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि संदर्भित प्रकरण की जांच केवल 'भूमि विवाद' के रूप में न करके, निम्नलिखित आपराधिक कृत्यों के आधार पर की जाए:

- **सार्वजनिक अभिलेखों में हेराफेरी (Section 466, 467, 468):** खतौनी जैसे सार्वजनिक रिकॉर्ड में श्रेणी-1 की विधिक उत्तराधिकारी (प्रार्थिनी) का नाम जानबूझकर विलोपित करना सरकारी दस्तावेजों की कूटरचना है। यह कृत्य **धारा 466** (लोक अभिलेख की कूटरचना) और **धारा 467/468** (छल के उद्देश्य से मूल्यवान प्रतिभूति की कूटरचना) के तहत गंभीर अपराध है।

- **धोखाधड़ी और जालसाजी (Section 420, 471):** प्रार्थिनी के नाबालिग होने की स्थिति का लाभ उठाकर, छलपूर्वक वरासत दर्ज कराना और उस जाली वरासत का उपयोग कर भूमि का विक्रय करना **धारा 420** (Cheating) और **धारा 471** (जाली दस्तावेज को असली के रूप में प्रयोग करना) के अंतर्गत आता है।
- **आपराधिक विश्वासघात एवं षड्यंत्र (Section 406, 120B):** प्रार्थिनी के संरक्षकों (विपक्षीगण) द्वारा अमानत के रूप में धारित पैतृक संपत्ति को हड़पना **धारा 406** (Criminal Breach of Trust) है, जो राजस्व कर्मियों के साथ मिलकर रचे गए एक **आपराधिक षड्यंत्र (Section 120B)** का परिणाम है।

- **वरासत की अवैधता की विवेचना:** पुलिस इस तथ्य की जांच सुनिश्चित करे कि वर्ष 2007 में किस विधिक प्रक्रिया के तहत एक 12 वर्षीय नाबालिग को उत्तराधिकार से बाहर रखा गया। यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित अपराध है।

**अंतिम मांग:** चूंकि उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध (Cognizable Offense) परिलक्षित होता है, अतः विपक्षीगण एवं संलिप्त राजस्व कर्मियों के विरुद्ध **धारा 420, 120B, 466, 467, 468, 471 एवं 406 IPC** के तहत तत्काल **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)** दर्ज कर

साधना तिवारी

विस्तृत विवेचना करने की कृपा करें। इसे "दीवानी मामला" बताकर निस्तारित करना न्याय का गला घोंटने और अपराधियों को संरक्षण देने के समान होगा ।

**सादर,**

**प्रार्थिनी के हस्ताक्षर / अंगूठा:** साधना तिवारी

**नाम:** साधना तिवारी **मो०:** 6387233091 **दिनांक:** 25 फरवरी 2026

## संलग्नकों की सूची (List of Enclosures)

1. **मृत्यु प्रमाण पत्र (पिता):** स्व० सियाकान्त मिश्रा (मृत्यु तिथि: 12/10/2001) ।
2. **उद्धरण खतौनी:** ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड, खाता संख्या 00090 (फसली वर्ष 1419-1424) ।
3. **विरासत का प्रमाण:** खतौनी में अंकित वाद संख्या 255/2007, दिनांक 19/06/2007 ।
4. **भूमि विक्रय का प्रमाण:** खतौनी में अंकित वाद संख्या 256/2007, दिनांक 07/07/2007 ।
5. **पति का मृत्यु प्रमाण पत्र:** स्व० ओमकारनाथ तिवारी (मृत्यु दिनांक: 22/12/2025)।
6. **माननीय राज्य मानवाधिकार आयोग का पत्र:** केस संख्या 10035/24/55/2024 ।

7:- Family register

8:- Transfer certificate for date of birth

# Online RTI Appeal Form Details

| | |
|---|---|
| **Public Authority Details :-** | Print |
| *** Public Authority** | SUPERINTENDENT OF POLICE OFFICE MIRZAPUR |
| **Personal Details:-** | |
| *** Name** | Sadhana Tiwari |
| **Gender** | Male |
| *** Address** | Surekapuram Colony Jabalpur Road |
| **Pincode** | 231001 |
| **State** | Uttar Pradesh |
| **Educational Status** | Literate |
| **Phone** | Details not provided |
| **Mobile** | +91-638723XXXX View |
| **Email** | sadhanamishramzp[at]gmail[dot]com |
| **Citizenship** | Indian |
| *** Is the Applicant Below Poverty Line ?** | No |
| **First Appeal Details u/s 19(1) :-** | |
| **Registration Number** | SPMZR/A/2026/60059 |
| **Date of Filing** | 27/07/2026 |
| **Concerned Appellate Authority** | Aparna Rajat Kaushik |
| **Mobile** | XXXX View |
| **Email** | 395 |
| *** Ground For Appeal** | Provided Incomplete,Misleading or False Information |
| ((Description of Information sought (upto 500 characters) ) | |
| *** Prayer or Relief Sought** | Undoubtedly there is no direct evidence of corruption but circumstantial evidence are reflecting the corruption in the matter So it must be scrutinised by senior rank officers. The report of the circle officer is not maintaining the dignity of the post is the matter of great concern. This matter concerns fundamental and human rights violations So please look into it with utmost care and attention. GROUNDS OF APPEAL: Point 1: PIO merely referred to an unrelated earlier reply dated 13.04.2026 (from a different RTI, SPMZR/R/2026/60135) instead of providing the police-to-revenue department correspondence/file notings specifically sought in this application. Point 2: PIO redirected to IGRS portal/Revenue Dept for the Lekhpal Report (27.02.2026) and Revenue Dept investigation report. This is misleading, as CO Lalganj''s own report dated 13.04.2026 lists these exact documents as evidence reviewed by the police department itself. Being in police custody, PIO must supply them directly. Point 3: PIO evaded answering whether any documentary proof (sale deed/document number) was verified for the opposite party''s oral claim of a land sale for medical treatment. This is a direct "yes/no + reason" question under Section 7(1), left unanswered. No such document appears in the police file''s own evidence list. Point 4: PIO again redirected to Revenue Dept instead of naming the officials who verified the 2007 Varasat entry (Case No. 255/2007), despite this being central to the police investigation itself. Point 5: PIO cited no specific rule/circular for why the 18-day gap between the Varasat entry (19.06.2007) and third-party sale (07.07.2007), involving a 12-year-old minor heir, was no investigated as conspiracy/forgery. Merely repeating "civil matter" misapplies SLP (Crl) 8592/24 which bars criminalizing civil disputes, not forgery of public documents (IPC 466/467/468/471). Point 6: The investigation report ignores the documentary contradiction raised in appellant''s |

| | |
|---|---|
| | written submission dated 25.02.2026 — the khatauni record shows land remained in grandfather''s name till 2007, contradicting the claimed pre-2001 oral partition. PRAYERS: Poin 1: Direct PIO to supply certified copies of police-revenue correspondence/file notings under Poin A. Point 2: Direct PIO to directly furnish the Lekhpal Report and Revenue Dept report from the police file itself, not redirect elsewhere. Point 3: Direct PIO to give a clear yes/no answer with reasons on whether documentary proof of the sale claim was verified. Point 4: Direct PIO to disclose names/designations of officials who verified the 2007 Varasat entry. Point 5: Direct PIO to cite the specific rule/circular relied upon, or admit none exists. Point 6: Direct PIO to explain why the documentary contradiction raised on 25.02.2026 was not addressed in the final report. Point 7: Pass any other order/direction deemed just in the interest of justice. |
| **Supporting document ((only pdf upto 1 MB))** | |

**RTI Application Details u/s 6(1) :-**

| | |
|---|---|
| **Registration Number** | SPMZR/R/2026/60273 |
| **Date of Filing** | 12/06/2026 |
| **PIO of Public Authority approached** | Rajkumar Meena |
| **Designation** | ASP OPERATION |
| **Mobile** | 947356XXXX View |
| **Email** | aspopmzp[at]gmail[dot]com |
| **PIO Order/Decision Number** | Details not provided |
| * **PIO Order/Decision Date** | |

GDM

कार्यालय क्षेत्राधिकारी लालगंज जनपद मीरजापुर

पत्रसंख्या:ज0सू0आनलाईन-262/2026-SPMZR/R/2026/60273 दिनांक:जुलाई,3 ,2026

सेवा में,

श्रीमती साधना तिवारी निवासी सुरेखापुरम् कालोनी,जबलपुर रोड,
थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर उ0प्र0 पिन कोड-231001 मो0न0-6387233091 ।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित पत्र संख्या:ज0सू0आनलाईन-262/2026-SPMZR/R/2026/60273 दिनांकित 12.06.2026 के माध्यम से आवेदक उपरोक्त के पत्र पर सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

आप द्वारा अपेक्षित सूचना बिन्दुवार निम्नवत है। यदि आपको इस मांग के विरुद्ध कोई आपत्ति है तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर ।

| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | उ0प्र0 राज्य मानवाधिकार आय़ोग केस संख्या 10035/24/55/2025 की पुनः जांच के दौरान पुलिस विभाग द्वारा राजस्व विभाग को भेजे गये सम्पूर्ण फाईल नोटेशन,पत्राचार पत्रो और अधिकारिक अनुरोधो की प्रमाणित प्रति प्रदान करे। | इस बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदिका द्वारा उ0प्र0 राज्य मानवाधिकार आय़ोग केस संख्या 10035/24/55/2025 पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। जिसकी पुनः जांच कर आख्या की प्रति आवेदिका को दिनांक 13.04.2026 को आवेदिका को प्रेषित किया जा चुका है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। |
| 2 | दिनांक 27.02.2026 की सम्पूर्ण क्षेत्रीय लेखपाल रिपोर्ट और साथ में संलग्न राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रदान करे। | इस बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदिका द्वारा इसी प्रकरण के सम्बन्ध में आईजीआरएस के संदर्भ संख्या:60000260102625 पर प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना ड्रमण्डगंज द्वारा राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रकरण की जांच की गयी तथा आवेदिका द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना से सम्बन्धित लेखपाल की रिपोर्ट व राजस्व विभाग की जांच आख्या संलग्न कर प्रेषित किया गया है,जो आवेदिका द्वारा किये गये प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। आवेदिका स्वंय आईजीआरएस पोर्टल से प्राप्त कर सकती है। राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट व क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या के छायाप्रति संलग्न है। |
| 3 | विपक्षी हरिप्रसाद मिश्रा द्वारा बताये गये रिपोर्ट में उसके दिगवंत दादा ने मेरे पिता सियाकान्त के चिकित्सा | इस बिन्दु मे आवेदिका द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना का सम्पूर्ण सम्बन्ध राजस्व,विभाग व रजिस्ट्रार कार्यालय से सम्बन्धित है आवेदिका रजिस्ट्रार कार्यालय व राजस्व विभाग के समक्ष प्रतिवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकती है। |

| | | |
|---|---|---|
| | उपचार के लिए जमीन का अपना हिस्सा बेच दिया था पंजीकृत विक्रय विलेख की प्रति, दस्तावेज संख्या या विपक्षी इस मौखिक दावे को सत्यापित प्रमाणित प्रति प्रदान करे। | |
| 4 | आवेदिका द्वारा वरासत 2007 के सम्बन्ध मे राजस्व विभाग के अधिकारियो व कर्मचारियो के नाम व पदनाम और कार्यालय के पदे प्रदान करे। | इस सम्बन्ध मे आवेदिका राजस्व विभाग के समक्ष प्रतिवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकती है। |
| 5 | आवेदिका द्वारा पूर्व प्रेषित प्रार्थना पत्र में दिये गये निष्कर्ष के सम्बन्ध मे सूचना प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। | इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि आवेदिका का सम्पूर्ण प्रकरण जमीनी विवाद / हिस्सेदारी से सम्बन्धित है जो राजस्व विभाग से सम्बन्धित है। प्रकरण राजस्व विभाग के होने के कारण आवेदिका के प्रार्थना पत्र की जांच राजस्व विभाग के रिपोर्ट के आधार पर आख्या प्रेषित की गयी है। आवेदिका अपने प्रकरण के सम्बन्ध मे मात्र पुलिस विभाग से कार्यवाही चाहती है जबकि आवेदिका का सम्पूर्ण प्रकरण सिविल प्रकृति का है,इसके बावजूद भी आवेदिका राजस्व विभाग अथवा सम्बन्धित न्यायालय से चाराजोई न कर बार बार पुलिस विभाग से कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र / सूचना प्रेषित की जाती है। |

संलग्नकःयथोपरि

सहायक जनसूचना अधिकारी/
क्षेत्राधिकारी लालगंज
मीरजापुर।

क्षेत्राधिकारी–लालगंज
मीरजापुर

अपर पुलिस अधीक्षक नगर
जनपद मीरजापुर।

कृपया अपने पत्र संख्याःआयोग प्र0/पु0अ0नगर/सी-3(07)/2025 दिनांक 31.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग लखनऊ मे प्रचलित केस संख्याः10035/24/55/2025 दिनांकित 03.10.2024 के माध्यम से प्राप्त आवेदिका श्रीमती साधना तिवारी निवासी सुरेकापुरम् कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर के सम्बन्ध मे मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा प्रेषित जांच आख्या पर आवेदिका द्वारा कतिपय बिन्दुओ पर किये गये आपत्ति के क्रम में पुनः जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

आरोप—

विपक्षीगण द्वारा आवेदिका के पिता के हिस्से की जमीन को अपने नाम वरासत करा लेना आदि कतिपय आरोप अंकित है।

जांच विवरण—

संदर्भित प्रकरण की जांच के क्रम मे सम्बन्धित का अभिकथन अंकित किया गया,थाना ड्रमण्डगंज व राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या / अभिलेखो का अवलोकन किया गया विवरण निम्नवत है—

1— बयान साधना तिवारी पत्नी स्व0 ओमकारनाथ तिवारी निवासी सुरेखापुरम् कालोनी,जबलपुर रोड थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर मो0न0-6387233091 बता रही है कि मेरे पिता जी चार भाई क्रमशःदयाशंकर मिश्रा,हरिप्रसाद मिश्रा,सियाकान्त मिश्रा(पिता) व शिवशंकर मिश्रा थे। मेरे दादा का नाम शम्भूशरण मिश्रा था। मै जब 06 माह की थी तो मेरे माता जी का देहान्त हो गया तथा मेरे पिता का देहान्त वर्ष 2001 मे हुआ था। जिस कारण मेरा लालन पालन मेरे मौसी अहिल्या पाण्डेय व मौसा रामनरेश पाण्डेय निवासी बरधवा,थाना अमरपुर जनपद उमरिया म0प्र0 द्वारा किया गया है। मेरी शादी दिनांक 11.03.2012 को मेरे बड़े पिता हरिप्रसाद द्वारा किया गया था,परन्तु उनके द्वारा यह जानते हुए कि मेरे पति दिमाग के मेन्टेली थे,तथा पूर्व से शादी सुदा थे,तथा उनके तीन बच्चिया थे, जिसके बारे मे मेरे बड़े पिता हरिप्रसाद को जानकारी थी,इसके बावजूद उन्होने धोखे से मेरी शादी करवा दिया गया। शादी के बाद मेरे बड़े पिता जी द्वारा मुझसे मतलब रखना छोड़ दिये तथा आना जाना भी बन्द कर दिये। जब मेरे बड़े पिता जी द्वारा मेरे यहां आना जाना बन्द कर दिये तो मेरे द्वारा अपने पिता के हिस्से की जमीन अपने बड़े पिता व चाचा से मांग किया जाने लगा। तब मुझे पता चला कि पैतृक सम्पत्ति मेरे बडे पिता हरिप्रसाद व दयाशंकर मिश्रा के नाम से वर्ष 2007 मे वरासत होकर नाम खतौनी में दर्ज हो गया था। मेरे पिता की मृत्यु वर्ष 2001 मे तथा मेरे दादा की मृत्यु वर्ष 2005 मे हो तथा मेरे सबसे छोटे चाचा शिवशंकर मिश्रा,जो गूंगे बहरे थे, उनकी भी मृत्यु हो गयी है। मेरे दादा के मरने के बाद मेरे बड़े पिता हरिप्रसाद व चाचा दयाशंकर मिश्रा द्वारा धोखे से सम्पत्ति अपने नाम करवा लिये। विपक्षीगण द्वारा कहा जाता है कि मेरे पिता के नाम से कोई सम्पत्ति भैसोड़ बलाय पहाड़ में नही है। इस तरह विपक्षीगण राजस्व कर्मियो के मिलीभगत करके पूरी सम्पत्ति अपने नाम करा लिये है। बाकी मेरे द्वारा जो प्रार्थना पत्र है उसे मेरा बयान समझा जाये।

2—बयान हरिप्रसाद मिश्र पुत्र स्व0 शम्भूशरण मिश्र निवासी भैसोड़ बलाय थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर बता रहे है कि साधना तिवारी मेरे सबसे छोटे भाई सियाकान्त मिश्र की पुत्री है। मेरे भाई की पुत्री साधना तिवारी जब 03 वर्ष की थी उसी समय मेरे पिता जी द्वारा अपने जीवनकाल मे ही हम तीनो भाईयो का मौखिक बटवारा कर दिये थे, जिसके बाद हम तीनो भाई अपने अपने हिस्से मे रह रहे थे। मेरे छोटे भाई की मृत्यु से पूर्व उनके दवा इलाज मे मेरे पिता जी द्वारा उनके हिस्से की सारी जमीन बेचॅ दिये थे। जब मेरे भाई की मृत्यु हो गयी तो हम दोनो

भाईयो द्वारा आवेदिका का लालन पालन किया तथा शादी विवाह किया गया। मेरे पिता की मृत्यु वर्ष 2005 में होने के पश्चात पश्चात समस्त सम्पत्ति मेरी माता व हम दो भाईयो क्रमशः मेरे व दयाशंकर के नाम समस्त सम्पत्ति वरासत हो गया था। उस समय साधना की उम्र करीब 11 वर्ष के आसपास थी। मेरी माता की मृत्यु वर्ष 2018 में होने के उपरान्त उक्त सम्पत्ति हम दोनो भाईयो के नाम वरासत होकर नाम खतौनी मे दर्ज हो गया। मेरे छोटे भाई का हिस्सा उनके दवा इलाज मे मेरे पिता जी द्वारा बेच दिया गया था। हम लोगो द्वारा अपने भाई का हिस्सा नही लिया गया है यदि आवेदिका को लगता है कि उसके पिता का हिस्सा बचा है तो अपने पिता के हिस्से से सम्बन्धित जमीन का कागज देकर अपने पिता की हिस्से की जमीन ले ले हमे कोई आपत्ति नही होगी।

**अभिलेखीय साक्ष्य—**

1—उद्धरण खतौनी का अवलोकन।

2—क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट दिनांक 27.02.2026 का अवलोकन।

3—राजस्व विभाग के जांच आख्या का अवलोकन।

**समीक्षा—**

आवेदिका श्रीमती साधना तिवारी निवासी सुरेकापुरम् कालोनी, जबलपुर रोड मीरजापुर द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र मे अंकित आरोपो की जांच के क्रम मे सम्बन्धित के अंकित किये गये बयान,थाना ड्रमण्डगंज व राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या / अभिलेखो के अवलोकन तथा अन्य श्रोतो से की गयी छानबीन / जानकारी से यह तथ्य संज्ञान मे आया कि आवेदिका के पिता आपस मे चार भाई थे, जिनकी करीब 60 विघा जमीन थी। विपक्षीगण हरिप्रसाद मिश्र व दयाशंकर मिश्र आवेदिका के बड़े पिता है। आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके पिता के हिस्से मे लगभग 15 विघा जमीन थी तथा आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज था। आवेदिका जब नाबालिग थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गयी थी।पिता की मृत्यु के बाद उसके बड़े पिता द्वारा उसका लालन पालन शादी व्याह कराया गया है। जिसके पश्चात उसके पिता के हिस्से की जमीन को विपक्षीगण द्वारा अपने नाम करा लिया गया है। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे आवेदिका द्वारा राजस्व विभाग मे प्रार्थना पत्र दिया गया था,जिसके सम्बन्ध मे राजस्व विभाग द्वारा जाचं की गयी, राजस्व विभाग के जांच आख्या का अवलोकन किया गया जिसमे मुख्य रुप से अंकित है कि आवेदिका के पिता सियाकान्त पुत्र शम्भू के नाम ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ मे कोई जमीन आवेदिका के पिता के नाम से नही है। अपितू आवेदिका के दादा शम्भू के नाम पूर्व मे भूमि थी जिसका वरासत हो चुका है। अब कोई वरासत करना विधिक नही है। यदि आवेदिका चाहती है तो वंश वृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय मे रा0सं0की धारा 34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु बताया गया।

**निष्कर्ष—**

अबतक की तमामी जाच,सम्बन्धित के अंकित किये गये बयान,थाना ड्रमण्डगंज व राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या / अभिलेखो के अवलोकन तथा अन्य श्रोतो से की गयी छानबीन / जानकारी से पाया गया कि आवेदिका के पिता आपस में चार भाई थे, जिनकी करीब 60 विघा जमीन थी। विपक्षीगण हरिप्रसाद मिश्र व दयाशंकर मिश्र आवेदिका के बड़े पिता है। आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके पिता के हिस्से मे लगभग 15 विघा जमीन थी तथा आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज था। आवेदिका जब नाबालिग थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गयी थी। पिता की मृत्यु के बाद उसके बड़े पिता द्वारा उसका लालन पालन शादी व्याह कराया गया है। जिसके पश्चात उसके पिता के हिस्से की जमीन को विपक्षीगण द्वारा अपने नाम करा लिया गया है। उपरोक्त प्रकरण

के सम्बन्ध मे आवेदिका द्वारा राजस्व विभाग मे प्रार्थना पत्र दिया गया था,जिसके सम्बन्ध मे राजस्व विभाग द्वारा जाचं की गयी, राजस्व विभाग के जांच आख्या का अवलोकन किया गया जिसमे मुख्य रुप से अंकित है कि *आवेदिका के पिता सियाकान्त पुत्र शम्भू के नाम ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ मे कोई जमीन आवेदिका के पिता के नाम से नही है । अपितू आवेदिका के दादा शम्भू के नाम पूर्व में भूमि थी जिसका वरासत हो चुका है । अब कोई वरासत करना विधिक नही है ।* राजस्व विभाग की आख्या व उद्धरण खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका के पिता के नाम से ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ (आवेदिका के मायका) में कोई जमीन आवेदिका के पिता के नाम से नही है । चूंकि आवेदिका का सम्पूर्ण प्रकरण सिविल प्रकृति का है, इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) 8592/24 में यह व्यवस्था दी गयी है कि सिविल मामलों को आपराधिक रुप देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न किया जाये। फिर भी आवेदिका को बताया गया कि वंश वृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय मे रा0सं0की धारा 34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे ।

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है ।

13/4/26

संलग्नक-यथोपरि

दिनांक:अप्रैल ,2025

(अमर बहादुर)
क्षेत्राधिकारी लालगंज
मीरजापुर

महोदय,

प्रार्थिनी साधना तिवारी पत्नी ओमप्रकाश तिवारी निवासी सुलेमानपुर कालोनी [illegible] गोरखपुर का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रार्थिनी की शिकायत है कि ग्राम मैंफोड़ [illegible] पिता [illegible] खाता दर्ज नाम बाबू साहब पुत्र रामप्रसाद तिवारी निवासी [illegible] के मृत्यु उपरान्त मेरे पिता के स्थान पर मेरा नाम [illegible] द्वारा नहीं चढ़ाया गया।

आवेदन की अभिलेखीय एवं स्थलीय जाँच पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम मैंफोड़ खलाव [illegible] के वर्तमान खतौनी के आदेशित के अनुसार दयाशंकर, हरिशंकर, शिवशंकर पुत्रगण रामप्रसाद एवं [illegible] पत्नी रामप्रसाद का नाम दर्ज है। जबकि पूर्ववर्ती खतौनी फसली 1408-1410 के खाता संख्या 84 पर दर्ज नाम रामप्रसाद के मृत्यु पश्चात दिनांक 5-1-2006 को लेखपाल द्वारा वरासत की कार्यवाही किया गया था।

आवेदक को पता लगा है कि मेरे पिता [illegible] के स्थान पर मेरा नाम साधना तिवारी होना चाहिए तो न्यायालय तहसीलदार के न्यायालय में वरासत को [illegible] 2006 की धारा 34 में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकती हैं। प्रस्तुत प्रकरण [illegible] संलग्न आवेदन निस्तारण हेतु आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

[illegible] 21/2/2006

# आई०जी०आर०एस० निस्तारण आख्या

सन्दर्भ संख्या 60000 24 0 21 ...

आवेदक का नाम श्रीमती साधना तिवारी

ग्राम का नाम मैरठोड़ बलाप पहाड़

निस्तारण अधिकारी का नाम इन्द्रदेव [illegible] पदनाम लेखपाल

| स्थल पर जाने का दिनांक | मौके पर मौजूद व्यक्तियों का नाम | मोबाईल नम्बर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| कार्यालय | 1– सम्बन्धी<br>2–<br>3–<br>4– | आख्या | |

शिकायत का संक्षिप्त विवरण:– वरासत के सम्बन्ध में शिकायत

कृत निस्तारण:–

महोदय, प्रार्थिनी साधना तिवारी नि. [illegible], शहर मीरजापुर की है जो मौके पर जाँच किया तो पता चला प्रार्थिनी के पिता शिवाकान्त पुत्र शम्भू के नाम ग्राम मैरठोड़ बलाप पहाड़ में व प्रार्थिनी द्वारा संज्ञान आप में कोई भूमि प्रार्थिनी के पिता के नाम नहीं है। अपितु प्रार्थिनी के दादा शम्भू के नाम पूर्व में भूमि थी जिसका वरासत हो चुकी है। अब किसी वरासत का विधिक नहीं है, यदि प्रार्थिनी चाहे तो वंशवृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में रा०सं० की धारा 34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकती हैं।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

लेखपाल आख्या अग्रसारित
25-6-24

जांचकर्ता का नाम व [illegible] बलाप पहाड़
हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर न होने की दशा में कारण)

अग्रसारित

तहसीलदार ... 2024

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner